रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21012026-269496
CG-DL-E-21012026-269496

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 306] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 21, 2026/माघ 1, 1947
No. 306] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 21, 2026/MAGHA 1, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2026

का.आ. 334(अ).— केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा गठित एजेंसी 'तमिलनाडु ई-गवर्नेंस एजेंसी' (पैन: AABTT6381N) को निम्नलिखित निर्दिष्ट आय के संबंध में, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है, यथा:-

(क) चालू परिचालन व्यय के लिए तमिलनाडु सरकार और निर्दिष्ट प्राधिकरणों यदि कोई हो सहित सरकारों से आवर्ती अंशदान/अनुदान सहायता के रूप में प्राप्त राशि,

(ख) नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने के लिए सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से प्राप्त सेवा शुल्क;

(ग) अन्य राज्य सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक बोर्डों के लिए प्रदान की गई सॉफ्टवेयर विकास परियोजनाओं और आईटी परामर्श के लिए सेवा शुल्क और प्रायोजित विभिन्न परियोजनाओं के लिए समय-समय पर अग्रिम रूप से प्राप्त, लंबित संवितरण के स्रोतों पर अर्जित ब्याज;

(घ) सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (सीएससी-एसपीवी) से प्राप्त लाभांश;

(ङ) यूआईडीएआई द्वारा नामांकन एजेंसियों को तमिलनाडु ई-गवर्नेंस एजेंसी के माध्यम से जारी पीईसी अनुदान पर प्रशासनिक लागत, जो नामांकन रजिस्ट्रार के रूप में कार्य कर रही है;

(च) अन्य राज्य सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक बोर्डों के लिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने पर राजस्व साझाकरण;

(छ) कोई भी दूसरी इनकम जो भविष्य में सोसायटी के मकसद को पूरा करने के लिए हो सकती है; और

(ज) उपरोक्त (क) से (छ) पर अर्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना इस शर्त के अधीन प्रभावी होगी कि तमिलनाडु ई-गवर्नेंस एजेंसी, चेन्नई प्राधिकरण,-

(क) किसी वाणिज्यिक गतिविधि में संलग्न नहीं होगा ;

(ख) वित्तीय वर्षों के दौरान गतिविधियाँ और निर्दिष्ट आय की प्रकृति अपरिवर्तित रहेंगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4सी) के खंड (जी) के प्रावधान के अनुसार आयकर रिटर्न दाखिल करेगा ।

2.1 इन शर्तों का अनुपालन न करने पर आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जा सकती है और अधिनियम की धारा 10(46) के तहत दी गई छूट वापस ली जा सकती है।

3. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 2024-2025, 2025-26 की अवधि के लिए लागू मानी जाएगी और कर निर्धारण वर्ष 2026-2027, 2027-2028 और 2028-2029 के संबंध में लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 13 /2026/फा. सं. 300196/38/2024-आईटीए-I]

हरदेव सिंह, अवर सचिव

<u>स्पष्टीकरण ज्ञापन</u>

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से (बोर्ड/विभाग के समक्ष आवेदन किए जाने के वर्ष से प्रभावी) लागू करने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।